

-1-

निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न जिला निर्वाचन कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अनुसार वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु दिनांक 30 मई, 2024 के अपरान्ह 04.00 बजे विभागीय समिति की बैठक के लिये टिप्पणी

वर्तमान समय में निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न जिला निर्वाचन कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अनुसार वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु वार्षिक स्थानान्तरण 2017 के अनुसार सारिणी के बिन्दु संख्या-3 एवं 4 के अनुसार (प्रत्येक संवर्ग के लिए सुगम/दुर्गम क्षेत्र के कार्य स्थल, स्थानान्तरण हेतु कार्मिकों एवं से अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के विकल्प प्राप्त कर वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है।

2- उत्तराखण्ड शासन कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड के पत्रावली संख्या-198739/XXX(2)/ E-33080/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 जो दिनांक 23 अप्रैल, 2024 के द्वारों लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के संदर्भ में वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु विभागान्तर्गत प्रत्येक संवर्ग में पात्रता सूची में आने वाले कार्मिकों के स्थानान्तरण की अधिकतम सीमा को **15 प्रतिशत तक सीमित रखने** का निर्णय लिया गया है।

उक्त स्थानान्तरण अधिनियम में निम्नवत् स्थानान्तरण का प्राविधान किया गया है:-

- (क) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण
(ख) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण और
(ग) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण।

4- उक्तानुसार वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु विभिन्न जिला निर्वाचन कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों का सुगम/दुर्गम क्षेत्र के कार्यस्थल, स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों का विवरण निम्नवत् है:-

पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरिक्त	कार्यरिक्त	कालम-4 के सापेक्ष रिक्त जनपद का नाम	धारा 7 के अन्तर्गत सुगम से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों / सम्भावित रिक्तियों की संख्या	धारा 10 के अन्तर्गत दुर्गम से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों / सम्भावित रिक्तियों की संख्या	कालम-6 एवं 7 का कुल योग	धारा-13 एवं 17 के अन्तर्गत अनुरोध हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	धारा-18(3) के अन्तर्गत पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की सं० व किस जनपद में कार्यरत हैं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	13	12	01	बागेश्वर	0	0	0	00	02 टिहरी-उधम सिंह नगर
2.मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	5	4	1	पौड़ी-गढ़वाल	0	0	0	01	0
3.वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9	9	0	-	0	0	0	04	02 टिहरी-नैनीताल
4.प्रशासनिक अधिकारी	10	5	05	उत्तरकाशी चमोली देहरादून अल्मोड़ा नैनीताल	0	0	0	02	0
5.प्रधान सहायक	13	1	12	जनपद अल्मोड़ा को छोड़कर सभी जनपद में रिक्त हैं	0	0	0	01	0
6.वरिष्ठ सहायक	26	22	04	02 चमोली 01रूद्रप्रयाग 01 टिहरी	7	3	10	03	02 टिहरी-अल्मोड़ा
7.कनिष्ठ सहायक	46	14	32	सभी जनपदों में रिक्त हैं	0	01	01	0	0
योग-	122	67	55	—	07	04	11	11	06

[Signature]

13-11-2024

[Signature]

निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत वर्ष-2024-25 के लिये विभिन्न जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों से स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा-23 के बिन्दु सं-3 व 4 के अनुसार प्राप्त विकल्पों/आवेदन पत्रों के आधार पर तैयार विवरण दिनांक 20 मई, 2024 को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित हेतु:-

1- वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु विभिन्न जिला निर्वाचन कार्यालयों के लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-7 के अन्तर्गत सुगम से दुर्गम में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु आच्छादित कार्मिकों की संवर्गवार सूची धारा-8 के अनुसार अवरोही क्रम (Descending Order) में तैयार की गई है। अधिनियम धारा-9 के अन्तर्गत सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए पात्र कार्मिकों की सूची नियत समय सारणी के अनुसार तैयार कर ली गई है। ऐसे कार्मिकों से 10 स्थानों के विकल्प प्राप्त कर लिए गये हैं।

2- वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-10 के अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्र से सुगम में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु आच्छादित कार्मिकों की संवर्गवार सूची धारा-11 के अनुसार अवरोही क्रम (Descending Order) में तैयार की गई है। अधिनियम धारा-12 के अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्र से सुगम में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए पात्र कार्मिकों की सूची नियत समय सारणी के अनुसार तैयार कर ली गई है। ऐसे कार्मिकों से 10 स्थानों के विकल्प प्राप्त कर लिए गये हैं।

3- वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-3 के बिन्दु सं0-(घ) एवं (ङ.) के अन्तर्गत एवं धारा-13 (3) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति-पत्नी, बिन्दु सं0 (4) गम्भीर रोगग्रस्त बच्चे, बिन्दु (6) विधवा, बिधुर, समक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता एवं तलाकशुदा तथा वरिष्ठ कार्मिक अनुरोध के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध/प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं।

संवर्गवार पात्र कार्मिकों उपलब्ध, सम्भावित रिक्तियों एवं पात्र कार्मिकों से अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के लिये विकल्प एवं अनुरोध के आधार पर आवेदन पत्र का विवरण निम्नवत् है:-

1-सुगम/दुर्गम जनपद में कार्यरत सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी:-

जिला निर्वाचन कार्यालयों से प्राप्त विवरण के अनुसार कोई भी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के नियम-7क एवं 10क में निहित प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं हैं।

2- सुगम/दुर्गम जनपद में कार्यरत मुख्य प्रशासनिक अधिकारी:-

जिला निर्वाचन कार्यालयों से प्राप्त विवरण के अनुसार कोई भी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के नियम-7क एवं 10क में निहित प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं हैं।

3- सुगम/दुर्गम जनपद में कार्यरत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी:-

जिला निर्वाचन कार्यालयों से प्राप्त विवरण के अनुसार कोई भी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के नियम-7क एवं 10क में निहित प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं हैं।

3- सुगम/दुर्गम जनपद में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी:-

जिला निर्वाचन कार्यालयों से प्राप्त विवरण के अनुसार कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के नियम-7क एवं 10क में निहित प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं हैं।

4- सुगम/दुर्गम जनपद में कार्यरत प्रधान सहायक:-

जिला निर्वाचन कार्यालयों से प्राप्त विवरण के अनुसार कोई भी प्रधान सहायक, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के नियम-7क एवं 10क में निहित प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं हैं।

20.5.2024
RO
B. Sawant
S.O

MAS

5-क सुगम जनपद में कार्यरत वरिष्ठ सहायकों का विवरण निम्नवत् है:-
सुगम जनपद:- देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर, नैनीताल अल्मोड़ा एवं टिहरी गढ़वाल

क्र 0 स 0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	तैनाती जनपद	गृह जनप द	जन्म तिथि	वर्तमान में तैनाती की तिथि	वर्तमान तैनाती स्थल पर कुल अवधि	सुगम में कार्य अवधि । (वर्ष / माह)	दुर्गम में कार्य अवधि (वर्ष / माह)	सम्पूर्ण सेवा अवधि	रिक्ति / सम्भावित रिक्ति वाले जनपद का नाम	वरीयता क्रम में 10 इच्छित जनपद	अधिनियम की धारा का नाम जिसके अनुसार रिक्ति हो रही है एवं धारा-7 की उपधारी घ) एवं धारा-13 अन्तर्गत स्थानान्तरण में छूट का कारण (प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	सुश्री दीपा	देहरादून	देहरादू न	01.01. 1991	25.10. 2016	07 वर्ष 06 माह	07 वर्ष 06 माह	-	07 वर्ष 06 माह	उत्तरकाशी पिथौरागढ़ रुद्रप्रयाग चम्पावत पौड़ी-गढ़वाल चमोली बागेश्वर	1-उत्तरकाशी 2-चम्पावत 3-बागेश्वर 4-चमोली 5-टिहरी गढ़वाल 6-पौड़ी गढ़वाल 7-नैनीताल 8-रुद्रप्रयाग 9-पिथौरागढ़ 10-ऊधमसिंहनगर	धारा-7 में आच्छादित	
2	श्री नितिन थापा	नैनीताल	देहरादू न	24.05. 1992	26.10. 2016	07 वर्ष 06 माह	07 वर्ष 06 माह	-	07 वर्ष 06 माह	उत्तरकाशी पिथौरागढ़ रुद्रप्रयाग चम्पावत पौड़ी-गढ़वाल चमोली बागेश्वर	1.देहरादून 2.हरिद्वार 3.टिहरी गढ़वाल 4.पौड़ी 5.उधमसिंह नगर 6.उत्तरकाशी 7.रुद्रप्रयाग 8.अल्मोड़ा 9.चम्पावत 10.नैनीताल	धारा-7 में आच्छादित	
3	श्री मनमोहन उनियाल	टिहरी	टिहरी	10.11. 1989	27.10. 2016	07 वर्ष 06 माह	07 वर्ष 06 माह	-	07 वर्ष 06 माह	उत्तरकाशी पिथौरागढ़ रुद्रप्रयाग चम्पावत पौड़ी-गढ़वाल चमोली बागेश्वर	1.चमोली 2.उत्तरकाशी 3.रुद्रप्रयाग 4.पौड़ी गढ़वाल 5.टिहरी 6.देहरादून 7.हरिद्वार 8.उधमसिंह नगर 9.नैनीताल 10.अल्मोड़ा	धारा-7 में आच्छादित	
4	श्रीमती पुष्पा नेगी	देहरादून	देहरादू न	16.04. 1984	27.10. 2016	07 वर्ष 06 माह	07 वर्ष 06 माह	-	07 वर्ष 06 माह	उत्तरकाशी पिथौरागढ़ रुद्रप्रयाग चम्पावत पौड़ी-गढ़वाल चमोली बागेश्वर	1-हरिद्वार 2-टिहरी गढ़वाल 3-चमोली 4-पौड़ी गढ़वाल 5-उत्तरकाशी 6-नैनीताल 7-रुद्रप्रयाग 8-ऊधमसिंहनगर 9-बागेश्वर 10-चम्पावत	धारा-7 में आच्छादित	

1/2/2024
20.5.2024

B. S. Lawat
S.D.

mlas

5	बृजमोहन सिंह	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	14.10.1976	01.11.2016	07 वर्ष, 05 माह	07 वर्ष, 05 माह	—	07 वर्ष, 05 माह	उत्तरकाशी पिथौरागढ़ रुद्रप्रयाग चम्पावत पौड़ी-गढ़वाल चमोली बागेश्वर	1.बागेश्वर 2.चमोली 3-नैनीताल, 4-चम्पावत 5.पिथौरागढ़ 6.रुद्रप्रयाग 7.देहरादून 8.पौड़ी 9.टिहरी 10.उत्तरकाशी	धारा-7 में आच्छादित	
6	अरुण शर्मा,	अल्मोड़ा	देहरादून	14.05.1990	01.11.2016	07 वर्ष, 05 माह	07 वर्ष, 05 माह	—	07 वर्ष, 05 माह	उत्तरकाशी पिथौरागढ़ रुद्रप्रयाग चम्पावत पौड़ी-गढ़वाल चमोली बागेश्वर	1.देहरादून 2.पौड़ी गढ़वाल 3उत्तरकाशी 4.चमोली 5.रुद्रप्रयाग 6.हरिद्वार 7.उधमसिंह नगर 8. नैनीताल 9.पिथौरागढ़ 10.बागेश्वर	धारा - 7 में आच्छादित हैं	
7	श्री हेमन्त कुमार	उधमसिंह नगर	उत्तरकाशी	12-05-1987	02-11-2016	07 वर्ष 05 माह	07 वर्ष 05 माह	—	07 वर्ष 05 माह	उत्तरकाशी पिथौरागढ़ रुद्रप्रयाग चम्पावत पौड़ी-गढ़वाल चमोली बागेश्वर	1-उत्तरकाशी 2-देहरादून 3-टिहरी गढ़वाल 4-हरिद्वार 5-चमोली 6-रुद्रप्रयाग 7-उधमसिंह नगर 8-अल्मोड़ा 9-नैनीताल 10-पौड़ी गढ़वाल	धारा-7 में आच्छादित	

6ख- दुर्गम जनपद में कार्यरत वरिष्ठ सहायक का विवरण निम्नवत् है:-

दुर्गम जनपद:-पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, चम्पावत, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़

क्र 0 स 0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	तैनाती जनपद	गृह जनपद	जन्म तिथि	वर्तमान में तैनाती की तिथि	वर्तमान तैनाती स्थल पर कुल अवधि	सुगम में कार्य अवधि (वर्ष / माह)	दुर्गम में कार्य अवधि (वर्ष / माह)	सम्पूर्ण सेवा अवधि	रिक्ति / सम्भावित रिक्ति वाले जनपद का नाम	वरीयता क्रम में 10 इच्छित जनपद	अधिनियम की धारा का नाम जिसके अनुसार रिक्ति हो रही है एवं धारा-7की उपधारी घ)- एवं धारा-13 अन्तर्गत स्थानान्तरण में छूट का कारण (प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	श्री पिरंजन कुशवाह,	चम्पावत	हरिद्वार	07.03.1992	27.10.2016	07 वर्ष 06	—	07 वर्ष 06 माह	07 वर्ष 06 माह	टिहरी गढ़वाल देहरादून नैनीताल अल्मोड़ा उधमसिंह नगर	1.हरिद्वार 2.देहरादून 3.टिहरी गढ़वाल 4.उधमसिंह नगर 5.पौड़ी 6.रुद्रप्रयाग 7.अल्मोड़ा	धारा-10 में आच्छादित	

gand

Balawala

mas

(4)

											8.उत्तरकाशी 9.चमोली 10.पिथौरागढ़		
2	श्री मनोज भट्ट, वरिष्ठ सहायक	पौड़ी गढ़वाल	पौड़ी गढ़वाल	20 जून, 1978	27. 10. 2016	07 वर्ष 06 माह	—	07 वर्ष 06 माह	07 वर्ष 06 माह	टिहरी गढ़वाल देहरादून नैनीताल अल्मोड़ा उधम सिंह नगर	1— देहरादून 2—हरिद्वार 3— उधमसिंह नगर 4—टिहरी गढ़वाल 5—रूद्रप्रयाग 6—चमोली 7—उत्तरकाश 1 8—नैनीताल 9—अल्मोड़ा 10—चम्पावत	धारा-10 में आच्छादित	
3	श्री सोयब अन्सारी	बागेश्वर	देहरादून	10.07. 1991	02. 11. 2016	07 वर्ष 06 माह	—	07 वर्ष 06 माह	07 वर्ष 06 माह	टिहरी गढ़वाल देहरादून नैनीताल अल्मोड़ा उधम सिंह नगर	1—देहरादून 2—हरिद्वार 3—टिहरी गढ़वाल 4—पौड़ी गढ़वाल 5—उधमसिंह नगर 6—उत्तरकाश 1 7—रूद्रप्रयाग 8—चमोली 9—नैनीताल 10—पिथौराग ढ़	धारा-10 में आच्छादित	

7-ख- दुर्गम जनपद में कार्यरत कनिष्ठ सहायक का विवरण निम्नवत् है:-

दुर्गम जनपद:-पौड़ी गढ़वाल, रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, चम्पावत, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़

क्र 0 स 0	अधिकारी /कर्मचा री का नाम	तैनाती जनपद	गृह जनपद	जन्म तिथि	वर्तम न में तैना ती की तिथि	वर्तमान तैनाती स्थल पर कुल अवधि	सुगम में कार्य अवधि (वर्ष/ माह)	दुर्गम में कार्य अवधि (वर्ष/ माह)	सम्पूर्ण सेवा अवधि	रिक्ति/ सम्भावित रिक्ति वाले जनपद का नाम	वरीयता क्रम में 10 इच्छित जनपद	अधिनियम की धारा का नाम जिसके अनुसार रिक्ति हो रही है। एवं धारा-7की उपधारी घ) एवं धारा-13 अन्तर्गत स्थानान्तरण में छूट का कारण (प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	कु. सीमा आर्य	चमोली	चमोली	03. 11. 199 4	21. 08. 201 8	05 वर्ष 08 माह	शून्य	05 वर्ष 08 माह	05 वर्ष 08 माह	सभी जनपदों में पद रिक्त हैं	1—चमोली 2—रूद्रप्रया ग 3—टिहरी गढ़वाल 4—पौड़ी 5—देहरादून 6—हरिद्वार 7—उत्तरका शी 8—चम्पावत 9— नैनीताल 10—बागेश्व र	धारा-10 में आच्छादित	

निर्वाचन विभाग के सभी जिला निर्वाचन कार्यालयों में कुल 46 कनिष्ठ सहायकों के पद स्वीकृत हैं जिनके सापेक्ष वर्तमान में केवल 14कनिष्ठ सहायक हैं कुल 32 पद रिक्त हैं।

[Signature]

[Signature]

[Signature]

5

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु निर्वाचन विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत विभिन्न जिला निर्वाचन कार्यालयों द्वारा स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17(1)(ख) की श्रेणी (एक), (दो), (तीन), (पाँच), (छः) एवं (सात) से आच्छादित कार्मिकों पर लागू नहीं होगी अर्थात् प्रत्येक विभागान्तर्गत स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17(1)(ख) की श्रेणी (एक), (दो), (तीन), (पाँच), (छः) एवं (सात) से आच्छादित कार्मिकों के अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों का विवरण:-

क्र. सं.	कार्यालय पत्रांक व दिनांक	कार्मिक का नाम	पदनाम व कार्यरत जनपद का नाम	अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अनुरोध का विवरण
1	2	3	4	5
1	सं० 337 दि० 3 मई, 2024	श्री विपिन मैठाणी	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, उत्तरकाशी	धारा-13 (5) एवं धारा 17(1)(ख) की श्रेणी (दो) के अन्तर्गत पाल्य(पुत्र) की 85 प्रतिशत शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग होने से जनपद देहरादून स्थानान्तरण किये जाने हेतु अनुरोध पत्र इस कार्यालय में उपलब्ध किया गया है।
2	सं० 1147 दि० 30 अप्रैल, 2024	श्री गीताराम उनियाल	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, चमोली	वृद्ध माता-पिता के अस्वस्थ होने पर जनपद उत्तरकाशी, एवं देहरादून स्थानान्तरण हेतु अनुरोध पत्र उपलब्ध किया गया है।
3	सं० 1141 दि० 29 अप्रैल, 2024	श्री धनपाल सिंह रावत	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, रुद्रप्रयाग	श्री धनपाल सिंह द्वारा अपनी परिवारिक परिस्थिति ठीक न होने के कारण जनपद पौड़ी एवं देहरादून स्थानान्तरण किये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।
4	सं० 499 दि० 30 अप्रैल, 2024	श्री कुण्डल राम	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, टिहरी गढ़वाल	श्री कुण्डल राम द्वारा अपने वृद्ध माता की अस्वस्थता होने के कारण जनपद नैनीताल स्थानान्तरण किये जाने हेतु अनुरोध पत्र उपलब्ध कराया गया है।
5	सं० 499 दि० 30 अप्रैल, 2024	श्री जवाहर सिंह	प्रशासनिक अधिकारी, टिहरी गढ़वाल	धारा-13 (4) एवं धारा 17 (1) (ख) की श्रेणी (एक) के अन्तर्गत श्री जवाहर सिंह स्वयं गम्भीर रोगग्रस्तता होने के कारण जनपद हरिद्वार अथवा देहरादून स्थानान्तरण किये जाने सम्बन्धी अनुरोध पत्र उपलब्ध कराया गया है।
6	सं० 1647 दि० 30 अप्रैल, 2024	श्री नरेन्द्र प्रसाद देवली	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, देहरादून	श्री देवली द्वारा स्वयं एवं उनकी पत्नी अस्वस्थ होने के कारण 01 वर्ष हेतु देहरादून से स्थानान्तरण न किये जाने अथवा देहरादून के समीपस्थ जनपद में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।
7	सं० 1647 दि० 30	श्रीमती पुष्पा नेगी	वरिष्ठ सहायक, जिला निर्वाचन	श्री पुष्पा नेगी द्वारा अपने पिताजी के अस्वस्थता होने पर स्थानान्तरण जनपद देहरादून से न किये

1/मई/20-5-2024
R

B. S. Rawat
50

M. A. S.

	अप्रैल, 2024		कार्या0 देहरादून	जाने का अनुरोध पत्र उपलब्ध कराया गया है।
8	सं0 2198 दि0 04 मई, 2024	श्रीमती सोनिया बहुगुणा	प्रशासनिक अधिकारी, जिला निर्वा0 कार्या0 पौड़ी गढ़वाल	श्रीमती सोनिया द्वारा अपने सास-ससुर के बुजुर्ग एवं अस्वस्थ होने एवं उनकी देखभाल हेतु स्थानान्तरण जनपद देहरादून किये जाने का अनुरोध पत्र उपलब्ध कराया गया है।
9	सं0 2198 दि0 30 अप्रैल, 2024	श्री नीरज साह	वरिष्ठ सहायक, जिला निर्वाचन कार्यालय पिथौरागढ़	श्री साह द्वारा स्वयं एवं अपने पिताजी के अस्वस्थता के दृष्टिगत जनपद नैनीताल किये जाने का अनुरोध किया गया है।
10	सं0 2198 दि0 30 अप्रैल, 2024	श्रीमती राधिका कन्याल	प्रधान सहायक, जिला निर्वाचन कार्यालय अल्मोड़ा	श्रीमती राधिका देवी अपने स्वर्गीय पति श्री चन्द्र सिंह के स्थान पर मृतक आश्रित के रूप में कार्यरत हैं, जो धारा 17(1)(ख) की श्रेणी (पांच) में आच्छादित होने के कारण स्थानान्तरण जनपद पिथौरागढ़ किये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित/प्राप्त है।
11	सं0 1471 दि0 01 मई, 2024	श्री नितिन थापा	वरिष्ठ सहायक, जिला निर्वाचन कार्यालय नैनीताल	धारा-13 (3) के अन्तर्गत श्री नितिन थापा द्वारा उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति-पति सुगम अथवा दुर्गम क्षेत्र में एक ही स्थान पर तैनाती हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित/प्राप्त है

2- वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु कतिपय जिला निर्वाचन कार्यालयों द्वारा के कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 18 अन्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत स्वेच्छा से एक दूसरे के स्थान पर (सुगम एवं दुर्गम अथवा दुर्गम एवं दुर्गम अथवा सुगम एवं सुगम कार्यस्थल) में स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने पर पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों का विवरण:-

क्र सं	कार्यालय पत्रांक व दिनांक	कार्मिक का नाम	पदनाम व कार्यरत जनपद का नाम	अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्त अनुरोध पत्र का विवरण
1	2	3	4	5
1	सं0 537 दि0 06 मई, 2024	श्री राजेन्द्र सिंह अधिकारी	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल	धारा-18 (3) के अन्तर्गत, श्री राजेन्द्र सिंह अधिकारी, जनपद अल्मोड़ा के निवासी हैं, उनकी आयु 56 वर्ष से अधिक होने पर पारस्परिक स्थानान्तरण जनपद उधमसिंहनगर किये जाने हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध कराया गया है।
2	सं0 383 दि0 30 अप्रैल, 2024	श्री विजय तिवारी	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, ऊधम	धारा-18 (3) के अन्तर्गत, श्री विजय तिवारी, जनपद देहरादून के निवासी हैं, उनकी आयु 56 वर्ष से अधिक होने पर

20-5-2024
20

13/05/2024
50

mas

			सिंह नगर	पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रेषित/प्राप्त है।
3	सं0 557 दि0 09 मई, 2024	श्री कुण्डल राम	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय टिहरी गढ़वाल	धारा-18 (3) के अन्तर्गत श्री कुण्डल राम द्वारा की माता 75 वर्ष से अधिक होने पर अस्वस्थ रहने के कारण पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रेषित/प्राप्त
4	सं0 1573 दि0 08 मई, 2024	श्री धन सिंह राणा	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय नैनीताल	धारा-18 (3) के अन्तर्गत श्री धन सिंह राणा का गृह जनपद उत्तरकाशी हैं, जो दिनांक 30 नवम्बर, 2024 अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसके दृष्टिगत पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रेषित/प्राप्त
5	सं0 542 दि0 07 अप्रैल, 2024	श्री योगेश चन्द्र	वरिष्ठ सहायक जिला निर्वाचन कार्यालय, टिहरी गढ़वाल	धारा-18 (3) के अन्तर्गत श्री योगेश चन्द्र द्वारा पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रेषित/प्राप्त है।
6	—	श्री अरुण शर्मा	वरिष्ठ सहायक जिला निर्वाचन कार्यालय, अल्मोड़ा	धारा-18 (3) के अन्तर्गत श्री अरुण शर्मा द्वारा की अपनी माता अस्वस्थ रहने के कारण पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रेषित/प्राप्त

[Signature]
20-5-2024
RO

[Signature]
20-5-24
S.O

[Signature]